17/2/22 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार दौसा ने ~~द्वारा~~ अप्रार्थीगणों द्वारा अवैध रूप से काटे गए वृक्षों की नीलामी कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करा दी है। परंतु काश्तकारी कानून की धारा 86 के तहत दोषियों प्रति पेड़ 100/- रूपा की जुर्माना राशि की वसूली योग्य है। अतः तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो कि 100/- प्रति पेड़ के हिसाब से कुल 700/- रूपा की मांग कायम कर दोषियों से वसूल की जावें। प्रकरण में और कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः कार्यवाही बंद की जाती है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

S

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 17:02:26 IST
Reason: SelfAttested